[2019] 9 एस.सी.आर. 1089

पश्चिम बंगाल सेंट्रल स्कूल सेवा आयोग और ओआरएस

बनाम

अब्दुल हलीम और ओआरएस.

(2019 की सिविल अपील संख्या 5824)

24 जुलाई, 2019

**[आर. भानुमति और इंदिरा बनर्जी, जे.जे.]**

पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए व्यक्तियों का चयन) नियम, 2007 - आर.5 - पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग अधिनियम, 1997 - उपधारा (2) का खंड (डी) आर/डब्ल्यू। धारा 17 की उप-धारा (1) - पश्चिम बंगाल केंद्रीय विद्यालय सेवा आयोग ने सहायक शिक्षक के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए - इसके अनुसार, प्रतिवादी नंबर 1 ने बंगाली माध्यम के स्कूल में अरबी के सहायक शिक्षक के पद के लिए आवेदन किया। प्रारूप निर्धारित - प्रतिवादी नंबर 1 को लिखित परीक्षा में सफल घोषित किया गया - काउंसलिंग के बाद, उसकी सिफारिश / पैनल और उसका चयन इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि उसने बंगाली माध्यम स्कूल का विकल्प चुना था, हालांकि उसके पास बंगाली विषय भी नहीं था। माध्यमिक या उच्च माध्यमिक या स्नातक स्तर पर - रिट याचिका - उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने माना कि प्रतिवादी नंबर 1 ने बंगाली में सर्टिफिकेट कोर्स सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था और आयोग ने अरबी के सहायक शिक्षक के पद के लिए उसके चयन को गलत तरीके से रद्द कर दिया था। स्कूल में - व्यथित, अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष अपील दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया - अपील पर, माना गया: प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा संलग्न दस्तावेजों से पता चला कि पाठ्यक्रम प्रारंभिक स्तर का था - साथ ही, प्रतिवादी नंबर 1 यह प्रमाणित करने वाला कोई दस्तावेज या प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया कि बंगाली में उसका सर्टिफिकेट कोर्स उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बंगाली भाषा के समकक्ष मानक का था - इस मामले में, यह विवाद में नहीं है कि प्रतिवादी नंबर 1 जिसने बाहर से शिक्षा प्राप्त की थी पश्चिम बंगाल राज्य में माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर

बंगाली एक विषय के रूप में नहीं था - विज्ञापन के पैराग्राफ 2 के अंतिम खंड और/या नियमों के आर.5 (सी) की व्याख्या, जिसमें लिखा है, "उस भाषा के पेपर में उच्च स्तर की शिक्षा में सफल होना चाहिए"।अधिकारियों को स्नातक स्तर या स्नातकोत्तर स्तर पर भाषा के पेपर में सफलता के रूप में, या वैकल्पिक रूप से उस स्तर के भाषा के पेपर में एक परीक्षा जो स्नातक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा के स्तर के बराबर है और किसी अंशकालिक पाठ्यक्रम के बराबर नहीं है। एक विश्वविद्यालय द्वारा संचालित यह एक प्रशंसनीय यदि संभव न हो तो व्याख्या है जिसमें रिट न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए था।

**कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए**

**माना गया: 1. उच्च न्यायालय किसी मौलिक या कानूनी अधिकार को लागू करने के लिए अर्ध-न्यायिक या यहां तक कि प्रशासनिक निर्णयों को सही करने के लिए किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को रिट, निर्देश या आदेश जारी करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए शक्ति के दुरुपयोग और उपेक्षा को रोकने के लिए बाध्य है। सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा कर्तव्य की. [पैरा 29]**

**2. न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, न्यायालय को यह देखना है कि क्या विवादित निर्णय कानून की स्पष्ट त्रुटि के कारण दूषित है। यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण कि क्या कोई निर्णय रिकॉर्ड पर स्पष्ट त्रुटि के कारण दूषित हुआ है, यह है कि क्या त्रुटि रिकॉर्ड पर स्वयं-स्पष्ट है या क्या त्रुटि को स्थापित करने के लिए परीक्षण या तर्क की आवश्यकता है। यदि किसी त्रुटि को तर्क की प्रक्रिया द्वारा स्थापित किया जाना है, उन बिंदुओं पर जहां उचित रूप से दो राय हो सकती हैं, तो इसे रिकॉर्ड के सामने एक त्रुटि नहीं कहा जा सकता है, जैसा कि इस न्यायालय ने सत्यनारायण बनाम मल्लिकार्जुन में बताया था। एआईआर 1960 एससी 137। यदि वैधानिक नियम का प्रावधान दो या दो से अधिक निर्माणों के लिए उचित रूप से सक्षम है और एक निर्माण को अपनाया गया है, तो निर्णय रिट न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के लिए खुला नहीं होगा। यह केवल एक प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान की स्पष्ट गलत व्याख्या है, या उसकी अज्ञानता या उपेक्षा है, या उन कारणों पर आधारित निर्णय है जो कानून में स्पष्ट रूप से गलत हैं, जिन्हें रिट कोर्ट द्वारा सर्टिओरारी की रिट जारी करके ठीक किया जा सकता है। [पैरा 30]**

3. अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का दायरा अनुचित आदेशों को रद्द करने के लिए पर्याप्त व्यापक हो सकता है। यदि कोई निर्णय इतना मनमाना और मनमाना है कि कोई भी उचित व्यक्ति उस पर कभी नहीं पहुंच सका, तो उसे रिट कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया जा सकता है। यदि निर्णय को रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों द्वारा तर्कसंगत रूप से समर्थित नहीं किया जा सकता है, तो इसे विकृत माना जा सकता है। [पैरा 31]

4. हालाँकि, अधिकारियों के आदेश की तर्कसंगतता की जांच करने की न्यायालय की शक्ति न्यायालय को निर्णय के समर्थन में आधारों की पर्याप्तता पर गौर करने में सक्षम नहीं बनाती है, जैसे कि अपील में बैठे हों। फैसले पर. परीक्षण वह नहीं है जिसे न्यायालय उचित या अनुचित मानता है, बल्कि वह निर्णय है जिसे न्यायालय सोचता है कि कोई भी उचित व्यक्ति नहीं ले सकता था, जिसके कारण स्पष्ट अन्याय हुआ है। रिट न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता है, क्योंकि कोई निर्णय सही नहीं होता है। [पैरा 32]

5. रिट याचिका पर विचार करने और अनुमति देने में, उच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा की अपनी असाधारण शक्ति की सीमाओं को नजरअंदाज कर दिया है और वास्तव में प्रतिवादी नंबर 2 के फैसले पर अपील में बैठ गया है। [पैरा 33]

6. इस मामले में, यह विवाद में नहीं है कि प्रतिवादी नंबर 1 जिसने पश्चिम बंगाल राज्य के बाहर शिक्षा प्राप्त की थी, उसके पास माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर बंगाली विषय नहीं था। विज्ञापन के पैराग्राफ 2 के अंतिम खंड और/या नियमों के नियम 5 (सी) की व्याख्या, जिसमें लिखा है, "उस भाषा के पेपर में उच्च स्तर की शिक्षा में सफल होना चाहिए" अधिकारियों द्वारा भाषा के पेपर में सफलता के रूप में स्नातक स्तर या स्नातकोत्तर स्तर, या वैकल्पिक रूप से किसी स्तर के भाषा के पेपर में एक परीक्षा जो स्नातक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा के स्तर के बराबर है और किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कोई अंशकालिक पाठ्यक्रम प्रशंसनीय है यदि नहीं। संभावित व्याख्या जिसमें रिट न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए था। [पैरा 34]

7. यह न्यायालय इस तथ्य पर न्यायिक संज्ञान ले सकता है कि विश्वविद्यालय आमतौर पर छात्रों को स्नातक स्तर पर भाषा विषय चुनने की अनुमति नहीं देते हैं यदि विषय उच्च माध्यमिक स्तर पर उत्तीर्ण नहीं किया गया हो। जैसा कि देखा गया है, प्रतिवादी नंबर 1

**द्वारा संलग्न दस्तावेजों से पता चलता है कि जिन उम्मीदवारों ने स्नातक स्तर से पहले किसी स्तर पर भाषा का अध्ययन किया है, उन्हें सर्टिफिकेट कोर्स में प्रवेश से वंचित कर दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पाठ्यक्रम प्रारंभिक स्तर का है। [पैरा 35]**

**8. गौरतलब है कि प्रतिवादी नंबर 1 ने दिल्ली विश्वविद्यालय का कोई दस्तावेज या प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है जो यह प्रमाणित करता हो कि बंगाली में सर्टिफिकेट कोर्स उच्च माध्यमिक स्तर के बाद बंगाली भाषा के समकक्ष मानक है। [पैरा 36]**

*सत्यनारायण बनाम मल्लिकार्जुन* **एआईआर 1960 एससी 137: [1960] एससीआर 890 - पर भरोसा किया गया।**

**<u>केस कानून संदर्भ</u>**

**[1960] एससीआर 890 पैरा 30 पर निर्भर था**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2019 की सिविल अपील संख्या 5824

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2019 की सिविल अपील संख्या 5824

कलकत्ता में उच्च न्यायालय के दिनांक 27.06.2016 के निर्णय और आदेश से एफ.एम.ए. 2015 की संख्या 3324

राणा मुखर्जी, वरिष्ठ वकील, सुश्री एकता प्रधान, सुश्री धारित्री फूकन, सलाहकार। अपीलकर्ताओं के लिए.

देबल बनर्जी, वरिष्ठ अधिवक्ता, पीयूष के. रॉय, श्रीमती काकली रॉय, राजन के. चौरसिया, सुहान मुखर्जी, सुश्री आस्था शर्मा, अमित वर्मा, सुश्री काजल दलाल, सुश्री डिंपल मगपाल (मैसर्स पीएलआर के लिए) चेम्बर्स एंड कंपनी), सलाहकार। उत्तरदाताओं के लिए.

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

**इंदिरा बनर्जी, जे.** 1. छुट्टी स्वीकृत

2. अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राणा मुखर्जी और प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री देबल बनर्जी को सुना।

3. यह अपील कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच के दिनांक 27.6.2016 के अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ है, जिसमें एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.4.2010 के खिलाफ अपीलकर्ताओं द्वारा दायर एफएमए संख्या 3324/2015 की अपील को खारिज कर दिया गया था। प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर 2009 की रिट याचिका संख्या 21512 (डब्ल्यू) अन्य बातों के साथ-साथ बंगाली माध्यम जियारुद्दीनटोला हाई स्कूल में अरबी (पास) में सहायक शिक्षक के पद के लिए प्रतिवादी नंबर 1 की उम्मीदवारी, पैनलबद्धता और चयन को रद्द कर रही है। पश्चिम बंगाल में जिला मालदा में स्कूल, जिसे इसके बाद "स्कूल" कहा जाएगा।

4. पश्चिम बंगाल केंद्रीय विद्यालय सेवा आयोग ने 27.8.2008 को प्रकाशित बंगाली दैनिक "आजकल" के अंक में अन्य बातों के साथ-साथ विज्ञापन संख्या 01/एटी/08 दिनांक 26.8.2008 जारी किया, जिसमें सहायक शिक्षक के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। उक्त विज्ञापन में निर्दिष्ट.

5. ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य बातों के साथ-साथ शिक्षकों की दो श्रेणियों के पद रिक्त थे, अर्थात उत्तीर्ण श्रेणी जिसके लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पास कोर्स में स्नातक की डिग्री थी, जिसमें संबंधित विषय शामिल था। डिग्री स्तर पर कम से कम 300 अंकों का संयोजन विषय या पुराने 2-वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम में 200 अंक, और ऑनर्स/पोस्ट ग्रेजुएट श्रेणी जिसके लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता ऑनर्स के साथ स्नातक की डिग्री थी। या वैकल्पिक रूप से किसी भी यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में मास्टर डिग्री। उपरोक्त दोनों श्रेणियों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण जैसे बी.टी., बी.एड., पी.जी.बी.टी आदि में योग्यता वांछनीय थी।

6. पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग अधिनियम, 1997 की धारा 17 की उपधारा (1) के साथ पठित उपधारा (2) के खंड (डी) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए और पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग का अधिक्रमण करते हुए (शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए व्यक्तियों का चयन) नियम, 2006, पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग

(शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए व्यक्तियों का चयन) नियम, 2007 (इसके बाद इसे " नियम")। नियमों का नियम 5 इस प्रकार प्रदान करता है:

> **" 5. उम्मीदवार की अतिरिक्त आवश्यक योग्यता** - किसी भी स्कूल या मदरसा में शिक्षक के रूप में चयनित होने के इच्छुक उम्मीदवार के पास शिक्षा का माध्यम बंगाली या अंग्रेजी या हिंदी या नेपाली या उड़िया या संथाली या तेलुगु या उर्दू होना चाहिए। या अंग्रेजी या हिंदी या नेपाली या उड़िया या संथाली या तेलुगु या उर्दू, जैसा भी मामला हो, किसी भी माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक या स्नातक स्तर पर पहली या दूसरी या तीसरी भाषा के रूप में
>
> (ए) माध्यमिक स्तर पर या बोर्ड या मदरसा बोर्ड या समकक्ष; या
>
> (बी) परिषद के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर या समकक्ष; या
>
> (सी) उस भाषा के पेपर में शिक्षा के किसी भी बाद के उच्च स्तर पर।
>
> उक्त विज्ञापन संख्या 01/एटी/08 अन्य बातों के साथ-साथ विज्ञापित शिक्षण पदों के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित करता है। उक्त विज्ञापन का पैराग्राफ/नोट 2 पढ़ें:
>
> "शिक्षा का माध्यम..... रिक्तियां मुख्य रूप से बंगाली माध्यम स्कूलों (मदरसा को छोड़कर) में हैं। माध्यम के रूप में विशेष भाषा वाले स्कूल (मदरसा को छोड़कर) के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ मदरसा शिक्षा या किसी समकक्ष बोर्ड के माध्यमिक स्तर पर माध्यम की वह भाषा पहली या दूसरी या तीसरी भाषा होनी चाहिए। या पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर या किसी समकक्ष बोर्ड/परिषद से या उस भाषा के पेपर में शिक्षा के किसी भी बाद के उच्च स्तर में सफल होना चाहिए।

7. उपरोक्त विज्ञापन के अनुसार प्रतिवादी नंबर 1 ने निर्धारित प्रारूप में बंगाली माध्यम स्कूल में अरबी के सहायक शिक्षक के पद के लिए आवेदन किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी नंबर 1 ने पश्चिम बंगाल राज्य के बाहर शिक्षा प्राप्त की थी और उसके पास

माध्यमिक स्तर या उच्चतर माध्यमिक स्तर या स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर बंगाली विषय नहीं था।

8. यह प्रतिवादी नंबर 1 का मामला है कि उसने दिल्ली विश्वविद्यालय, आधुनिक भारतीय भाषा और साहित्यिक अध्ययन विभाग द्वारा संचालित बंगाली में एक साल का सर्टिफिकेट कोर्स सफलतापूर्वक पूरा किया था। उक्त सर्टिफिकेट कोर्स का पाठ्यक्रम, जो एक अंशकालिक पाठ्यक्रम था, इसमें शामिल है:

1. पेपर-I : व्याकरण और अनुवाद - 100 अंक

2. पेपर-II : साहित्य की रचना और इतिहास - 100 अंक

3. पेपर III : मौखिक (पढ़ना, लिखना और बातचीत) - 100 अंक

9. तीनों पेपरों में अंकों का विभाजन इस प्रकार है:

| **पेपर - I :** | **व्याकरण और अनुवाद** | **100 अंक** |
|---|---|---|
| (ए) | प्रारंभिक व्याकरण | 50 अंक |
| (बी) | अंग्रेजी से संबंधित भाषा में अनुवाद | 25 अंक |
| (सी) | संबंधित भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद | 25 अंक |

| **पेपर - II:** | **साहित्य की रचना और इतिहास** | **100 अंक** |
|---|---|---|
| 1) | अनुच्छेद लेखन | 15 Marks |
| 2) | कहानी लेखन | 15 अंक |
| 3) | पत्र लिखना | 15 अंक |
| 4) | समझ | 25 अंक |
| 5) | साहित्य का इतिहास | 30 अंक |

| **पेपर- III: मौखिक** | **पढ़ना, लिखना और बातचीत** | **100 अंक** |
|---|---|---|

10. प्रतिवादी नंबर 1 ने बंगाली में सर्टिफिकेट कोर्स परीक्षा में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा उसे दिए गए अंकों का विवरण संलग्न किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने 300 अंकों में से कुल 155 अंक प्राप्त किए। प्रतिवादी नंबर 1 ने पहले पेपर में 100 पर 57 अंक, दूसरे पेपर में 100 पर 53 अंक और तीसरे पेपर (मौखिक) में 100 पर 45 अंक प्राप्त किए।

11. ऐसा प्रतीत होता है कि बंगाली में सर्टिफिकेट कोर्स सहित सभी प्रमाणपत्रों की प्रतियों के साथ उपरोक्त विज्ञापन के अनुसार आवेदन करने के बाद, प्रतिवादी नंबर 1 को 21 दिसंबर को होने वाली 9वीं क्षेत्रीय स्तरीय चयन परीक्षा में उपस्थित होने के लिए प्रवेश पत्र जारी किया गया था। 2008.

12. प्रतिवादी नंबर 1 लिखित परीक्षा में सफल रहा जिसके बाद 25.5.2009 को एक पत्र प्रतिवादी नंबर 1 को जारी किया गया जिसमें उसे 6.7.2009 को आयोजित होने वाले व्यक्तित्व परीक्षण में उपस्थित होने के लिए कहा गया। व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रतिवादी नंबर 1 को आमंत्रित करने वाले पत्र में लिखा है:-

> "7. आपसे अनुरोध है कि आप इस आधार पर व्यक्तित्व परीक्षण में शामिल हों कि आप परीक्षा के संबंध में आयोग द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुसार शैक्षिक योग्यता आदि की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
>
> कृपया ध्यान दें कि यदि आप विज्ञापन संख्या 01/एटी/08 दिनांक 26.08.08, डब्ल्यूबीएसएससी अधिनियम, 1997, डब्ल्यूबीएसएससी (व्यक्तियों का चयन) की शर्तों के अनुसार अयोग्य पाए जाते बिना कोई कारण बताए और साथ ही आइटम नंबर के संदर्भ में दंड संहिता। आवेदन प्रपत्र के 17, 18 और 19 9वें आरएलएसटी (एटी), 2008 के लिए हैं।"हैं तो आपकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर खारिज कर दी जाएगी। शिक्षकों के पद पर नियुक्ति) नियम, 2007 और भारतीय प्रावधानों के संदर्भ में

13. प्रतिवादी नंबर 1 को व्यक्तित्व परीक्षण के समय अपनी पात्रता के समर्थन में सभी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, जो उसने किया। इसके बाद, प्रतिवादी नंबर 1 को 9वीं क्षेत्रीय स्तरीय चयन परीक्षा (एटी) 2008 के परिणामों के आधार पर अरबी में सहायक शिक्षक के पद के लिए सूचीबद्ध किया गया। इसके बाद अपीलकर्ता ने प्रतिवादी नंबर

1 को 21.8.2009 को काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया। उत्तीर्ण श्रेणी के अरबी भाषा में सहायक अध्यापक के पद के लिए उनकी उम्मीदवारी की अनुशंसा।

14. काउंसलिंग की तारीख यानी 27.8.2009 को प्रतिवादी नंबर 1 ने जियारुद्दीनटोला हाई स्कूल, जिला-मालदा में अरबी में सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्ति का विकल्प चुना।

15. काउंसलिंग के बाद, जब प्रतिवादी नंबर 1 नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहा था, उसे एक विवादित संचार प्राप्त हुआ जिसमें उसकी सिफारिश / पैनल और स्कूल में उसके चयन को इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि उसने बंगाली माध्यम स्कूल का विकल्प चुना था, हालांकि उसके पास बंगाली नहीं थी। माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक या स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में।

16. प्रतिवादी नंबर 1 ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में 2009 की रिट याचिका संख्या 2151 (डब्ल्यू) दायर की, इस आधार पर विवादित संचार को चुनौती दी कि वह इस पद के लिए पात्र है, क्योंकि उसने बंगाली में सर्टिफिकेट कोर्स सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय.

17. जब रिट याचिका सुनवाई के लिए ली गई, तो अपीलकर्ताओं की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। न ही अपीलकर्ता की ओर से विरोध में कोई शपथ पत्र दाखिल किया गया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह कहते हुए रिट याचिका को एकपक्षीय रूप से स्वीकार कर लिया कि रिट याचिका के पैराग्राफ 15 और 16 में प्रतिवादी नंबर 1 का मामला निर्विवाद रहा।

18. एकल न्यायाधीश ने माना कि दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा जारी दिनांक 9.5.2008 के अंकों के विवरण से पता चलता है कि प्रतिवादी नंबर 1 ने 300 में से 155 अंक प्राप्त करके बंगाली में सर्टिफिकेट कोर्स सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, और आगे बढ़ गया है ऊपर उल्लिखित विज्ञापन के पैराग्राफ 2 और विशेष रूप से अंतिम खंड को ध्यान में रखते हुए, जिसमें लिखा है, "किसी भी स्थिति में सफल होना चाहिए"बाद में भाषा के पेपर में उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त की", प्रतिवादी नंबर 1, जिसने दिल्ली विश्वविद्यालय से बंगाली में सर्टिफिकेट कोर्स पास किया था, का यह तर्क उचित था कि आयोग ने अरबी के सहायक शिक्षक के पद के लिए उसके चयन को गलत तरीके से रद्द कर दिया था। स्कूल। इसलिए, एकल न्यायाधीश ने

अपीलकर्ता नंबर 2 को एक सप्ताह के भीतर प्रतिवादी नंबर 1 को नियुक्ति देने का निर्देश दिया।

19. एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 19.4.2010 से व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने एफ.एम.ए.टी. के तहत अपील दायर की। 2010 की संख्या 1296, बाद में 2015 की एफएमए 3324 के रूप में क्रमांकित की गई, जिसे दिनांक 27.6.2016 के आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया जो अपील के अधीन है।

20. डिवीजन बेंच ने अपीलकर्ताओं की ओर से दिए गए तर्क को खारिज कर दिया कि दिल्ली विश्वविद्यालय से बंगाली में एक साल का अंशकालिक सर्टिफिकेट कोर्स 2007 के नियमों के नियम 5 (सी) में विचार किया गया कोर्स नहीं था। डिवीजन बेंच ने पाया कि प्रतिवादी नंबर 1 निर्विवाद रूप से नियम 5 (ए) या नियम 5 (बी) के तहत नहीं आता है। सवाल यह था कि क्या वह नियम 5(सी) के तहत आते हैं। डिवीजन बेंच ने प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में उपरोक्त प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया:

> "चूंकि नियमों में विशेष रूप से यह नहीं कहा गया है कि सर्टिफिकेट कोर्स एक ऐसा कोर्स नहीं है जो उच्च स्तर की शिक्षा के बाद का है और प्रतिवादी नंबर 1/रिट याचिकाकर्ता ने नियम 5 (सी) के मापदंडों को पूरा किया है, विद्वान एकल न्यायाधीश ने इसे उचित ठहराया था आदेश का विरोध किया गया"

21. डिवीजन बेंच ने अपील के तहत अपने आदेश द्वारा, अपीलकर्ता नंबर 2 को निर्देश दिया कि वह प्रतिवादी नंबर 1 को स्कूल में बंगाली में अरबी (पास) के सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए सिफारिश करे।

22. डिवीजन बेंच और सिंगल बेंच ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में गलती की है कि प्रतिवादी नंबर 1 ने विज्ञापन के पैराग्राफ 2 और/या नियमों के नियम 5 (सी) की आवश्यकताओं को पूरा किया था।

23. अत्यंत सम्मान के साथ, डिवीजन बेंच और एकल न्यायाधीश भी इस बात को समझने में विफल रहे कि विज्ञापन के पैराग्राफ 2 और/या के संदर्भ में अरबी के सहायक शिक्षक के पद के लिए प्रतिवादी नंबर 1 की पात्रता का प्रश्न 2007 के नियमों के नियम 5 (सी) के

तहत आधुनिक भारतीय भाषाओं और साहित्यिक अध्ययन विभाग द्वारा संचालित सर्टिफिकेट कोर्स में बांग्ला पढ़ाए जाने के तथ्यात्मक मुद्दे की जांच और निर्धारण की आवश्यकता है।दिल्ली विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद या किसी समकक्ष बोर्ड के उच्च माध्यमिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले बंगाली के स्तर से एक स्तर ऊपर था।

24. किसी विश्वविद्यालय द्वारा स्नातकों के लिए संचालित किसी भाषा में अंशकालिक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, पश्चिम बंगाल उच्च शिक्षा परिषद या समकक्ष बोर्ड के उच्चतर माध्यमिक स्तर या उस मामले के लिए, माध्यमिक से उच्चतर स्तर का होना आवश्यक नहीं है। पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या समकक्ष बोर्ड का स्तर

25. एक सर्टिफिकेट कोर्स उन स्नातकों के लिए एक बुनियादी कोर्स हो सकता है जो भाषा में शुरुआती हैं। बंगाली में सर्टिफिकेट कोर्स के पाठ्यक्रम से पता चलता है कि 100 अंकों के तीन पेपरों में से, जिसमें उम्मीदवारों का परीक्षण किया जाता है, 'पढ़ना' 'लेखन' और 'बातचीत' के लिए 100 अंकों का एक मौखिक पेपर होता है, जिसका आम तौर पर परीक्षण किया जाता है। प्राथमिक या अधिक से अधिक मध्य विद्यालय स्तर। इसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्स उन उम्मीदवारों के लिए नहीं है जिन्होंने पहले बंगाली का अध्ययन किया है।

26. डिवीजन बेंच का यह तर्क कि एकल बेंच द्वारा रिट याचिका को अनुमति देना उचित था, क्योंकि नियमों में विशेष रूप से यह नहीं कहा गया है कि सर्टिफिकेट कोर्स एक ऐसा कोर्स नहीं है जो उच्च स्तर की शिक्षा के बाद का है, स्पष्ट रूप से गलत धारणा है। यह उम्मीद करना बेमानी है कि पश्चिम बंगाल राज्य में शिक्षक की नियुक्ति के लिए वैधानिक नियमों में न केवल न्यूनतम योग्यता निर्धारित करनी होगी, बल्कि यह भी निर्दिष्ट करना होगा कि पूरे देश में बोर्ड या विश्वविद्यालयों द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों में से कौन सा प्रमाण पत्र नहीं माना जा सकता है। स्नातक स्तर पर किसी विश्वविद्यालय द्वारा पढ़ाए जाने वाले बंगाली मानक के समकक्ष मानक।

27. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय किसी प्रशासनिक निर्णय पर अपील नहीं करता है। न्यायालय केवल यह सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच कर

सकता है कि क्या निर्णय लेने की प्रक्रिया में ऐसी कोई कमजोरी थी, जो निर्णय को ख़राब करती है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप की मांग करती है।

28. किसी भी मामले में, उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार या किसी अन्य कानूनी अधिकार या कुछ के प्रदर्शन को लागू करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है।कानूनी कर्तव्य। रिट याचिका में आदेश पारित करने के लिए, उच्च न्यायालय को आवश्यक रूप से इस प्रश्न का समाधान करना होगा कि क्या याचिकाकर्ता के किसी मौलिक या कानूनी अधिकार का उल्लंघन हुआ है, या क्या उत्तरदाताओं द्वारा कानूनी कार्य के निष्पादन में कोई चूक हुई है। कर्तव्य।

29. उच्च न्यायालय किसी मौलिक या कानूनी अधिकार को लागू करने के लिए अर्ध-न्यायिक या यहां तक कि प्रशासनिक निर्णयों को सही करने के लिए किसी व्यक्ति या प्राधिकरण को रिट, निर्देश या आदेश जारी करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए शक्ति के दुरुपयोग और कर्तव्य की उपेक्षा को रोकने के लिए बाध्य है। सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा.

30. न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, न्यायालय को यह देखना है कि क्या लागू किया गया निर्णय कानून की स्पष्ट त्रुटि के कारण दूषित है। यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण कि क्या कोई निर्णय रिकॉर्ड पर स्पष्ट त्रुटि के कारण दूषित हुआ है, यह है कि क्या त्रुटि रिकॉर्ड पर स्वयं-स्पष्ट है या क्या त्रुटि को स्थापित करने के लिए परीक्षण या तर्क की आवश्यकता है। यदि किसी त्रुटि को तर्क की प्रक्रिया द्वारा स्थापित किया जाना है, उन बिंदुओं पर जहां उचित रूप से दो राय हो सकती हैं, तो इसे रिकॉर्ड के सामने एक त्रुटि नहीं कहा जा सकता है, जैसा कि इस न्यायालय ने ***सत्यनारायण बनाम मल्लिकार्जुन*** में बताया था। एआईआर 1960 एससी 137 यदि वैधानिक नियम का प्रावधान दो या दो से अधिक निर्माणों के लिए उचित रूप से सक्षम है और एक निर्माण को अपनाया गया है, तो निर्णय रिट न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के लिए खुला नहीं होगा। यह केवल एक प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान की स्पष्ट गलत व्याख्या है, या उसकी अज्ञानता या उपेक्षा है, या उन कारणों पर आधारित निर्णय है जो कानून में स्पष्ट रूप से गलत हैं, जिन्हें रिट कोर्ट द्वारा सर्टिओरारी की रिट जारी करके ठीक किया जा सकता है।

31. अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का दायरा अनुचित आदेशों को रद्द करने के लिए पर्याप्त व्यापक हो सकता है। यदि कोई निर्णय इतना मनमाना और मनमाना है कि कोई भी उचित व्यक्ति उस पर कभी नहीं पहुंच सका, तो उसे रिट कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया जा सकता है। यदि निर्णय को रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों द्वारा तर्कसंगत रूप से समर्थित नहीं किया जा सकता है, तो इसे विकृत माना जा सकता है।

32. हालाँकि, अधिकारियों के आदेश की तर्कसंगतता की जांच करने की न्यायालय की शक्ति न्यायालय को निर्णय के समर्थन में आधारों की पर्याप्तता पर गौर करने में सक्षम नहीं बनाती है, जैसे कि अपील में बैठे हों। फैसले पर. परीक्षण वह नहीं है जिसे न्यायालय उचित या अनुचित मानता है बल्किएक निर्णय जो न्यायालय को लगता है कि कोई भी उचित व्यक्ति नहीं ले सकता था, जिसके कारण स्पष्ट रूप से अन्याय हुआ है। रिट न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता है, क्योंकि कोई निर्णय सही नहीं होता है।

33. रिट याचिका पर विचार करने और अनुमति देने में, उच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा की अपनी असाधारण शक्ति की सीमाओं को खो दिया है और वास्तव में प्रतिवादी संख्या 2 के निर्णय पर अपील में बैठ गया है।

34. इस मामले में, यह विवाद में नहीं है कि प्रतिवादी नंबर 1 जिसने पश्चिम बंगाल राज्य के बाहर शिक्षा प्राप्त की थी, उसके पास माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर बंगाली विषय नहीं था। विज्ञापन के पैराग्राफ 2 के अंतिम खंड और/या नियमों के नियम 5 (सी) की व्याख्या, जिसमें लिखा है, "उस भाषा के पेपर में उच्च स्तर की शिक्षा में सफल होना चाहिए" अधिकारियों द्वारा भाषा के पेपर में सफलता के रूप में स्नातक स्तर या स्नातकोत्तर स्तर, या वैकल्पिक रूप से किसी स्तर के भाषा के पेपर में एक परीक्षा जो स्नातक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा के स्तर के बराबर है और किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कोई अंशकालिक पाठ्यक्रम प्रशंसनीय है यदि नहीं। संभावित व्याख्या जिसमें रिट न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए था।

35. यह न्यायालय इस तथ्य पर न्यायिक संज्ञान ले सकता है कि विश्वविद्यालय आमतौर पर छात्रों को स्नातक स्तर पर भाषा विषय चुनने की अनुमति नहीं देते हैं यदि विषय उच्च माध्यमिक स्तर पर उत्तीर्ण नहीं किया गया हो। जैसा कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा संलग्न

दस्तावेजों से पता चलता है कि जिन उम्मीदवारों ने स्नातक स्तर से पहले किसी स्तर पर भाषा का अध्ययन किया है, उन्हें सर्टिफिकेट कोर्स में प्रवेश से वंचित कर दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पाठ्यक्रम प्रारंभिक स्तर का है।

36. गौरतलब है कि प्रतिवादी नंबर 1 ने दिल्ली विश्वविद्यालय का कोई दस्तावेज या प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है जो यह प्रमाणित करता हो कि बंगाली में सर्टिफिकेट कोर्स उच्च माध्यमिक स्तर के बाद बंगाली भाषा के समकक्ष मानक है।

37. अपील के तहत निर्णय और आदेश कायम नहीं रखा जा सकता और उसे रद्द किया जाता है। तदनुसार, लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के अपील स्वीकार की जाती है

अंकित ज्ञान अपील स्वीकार की गई

आशीष तिवारी द्वारा अनुवादित।